

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा</p>
<p>22/7/19</p>	<p>पत्रावली पैरा 3डी वाडी एवं उनके अभिभावक को विधिक न आवाज दिलवाई जिसके उद्देश्य के पेशेकार सरकार की अनुवा. अतः वाडवाडी अफम हाजरी, अफम पेशेवी रखाई किया जाता है। सी.की.जारी की पत्रावली के मूल शुभार इका कम से कम ही</p> <p style="text-align: right;">सहायक अधिकारी एवं सहायक क्लेक वाडपुर (बीकानेर)</p>	

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री महादेव उपासक नामक RAS

श्री उमेश लाल 5/10 मेवकी शहर बनाम श्री राजेश्वर राज्य जरी जिलाधीर
वाधम वि- गेजपुर 1 भीलवाड़ा 1

राष्ट्र शाहपुरा - वाडी 2- तहसील 5/12 शाहपुरा 1

जतिवाड़ी गण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 RTA

मुकदमा नम्बर 272 सन् 10 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :-

वाद वादी अडम घाजरी, अडम पैरकी रचारी (किया जाता है)

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द
सूलयाबी तक अदा करें ।

बाबत धरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 7 सन् 2019



उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)